(2)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

क्रमांक /वि.स./स्था./2022 रायपुर, दिनांक / /2022

//कार्यालय सूचना//

प्राय: यह देखा जा रहा है कि कतिपय अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अर्जित अवकाश हेतु आवेदन छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अवकाश नियम 13(2) में उपलब्ध प्रावधानों के तहत प्रस्तुत नहीं किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अवकाश नियम 2010 के नियम 13(2) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत अर्जित अवकाश का आवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु पूर्व में भी समय-समय पर कार्यालय सूचना क्रमांक 6526/स्थापना/वि.स./01, रायपुर, दिनांक 23/07/2001 एवं कार्यालय सूचना क्रमांक 6644/वि.स./स्था./2005, रायपुर-492001 दिनांक 09.06.2005 जारी किया गया था । लेकिन सचिवालय में अधिकांश अर्जित अवकाश के प्रकरण नियमों के अनुकूल प्राप्त नहीं हो रहे हैं ।

अत: समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को पुन: सूचित किया जाता है कि अपरिहार्य कारणों को छोड़कर अर्जित अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र कम से कम उस तिथि से तीन सप्ताह अथवा इक्कीस दिन पूर्व प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । अन्यथा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

समस्त शाखा प्रभारी अधिकारियों से भी नियमों के परिप्रेक्ष्य में अनुशंसा दिये जाने की अपेक्षा की जाती है ।

आदेश से,

हस्ता/-

सचिव,

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृ. क्रमांक 4456 /वि.स./स्था./2022 रायपुर, दिनांक 11/04/2022

प्रतिलिपिः-

01. मान.अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव को मान. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
02. मान. नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सहायक को मान. नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
03. मान. उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा के निज सहायक को मान. उपाध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
04. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर के स्टॉफ ऑफिसर को सचिव महोदय के सूचनार्थ ।
05. सर्व संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर के सूचनार्थ ।
06. सर्वर कक्ष ।

11/4/2022

अनुभाग अधिकारी,

छत्तीसगढ़ विधान सभा

D:\aky\order2022.docx60